

कार्यालय प्रमानीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, नुरादाबाद।

(एल-25 सम्मना विहार, प्रथम फेस, निकट सोनकपुर स्टैंडिंग, नुरादाबाद-दुर्गा संख्या-1591-2450058)

पत्रांक 1098 / 22-1, दिनांक, नुरादाबाद, नवम्बर 10, 2016

वा में

परियोजना निदेशक,
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
 प्राधिकरण ए-54 आशियाना फेस-1 (डांग का मन्दिर)
 कौंट रोड नुरादाबाद।

विषय-

लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-नुरादाबाद सैकशन (एनएच-39) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 250 वृक्षों के पतन, बुलन्दशहर में कि०मी० 126.00 से 133.950 तक 3.5760 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 81 वृक्षों के पतन, सम्मल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 3777 वृक्षों का पतन तथा नुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 454 वृक्षों के पतन कुल 59.2830 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4552 वृक्षों के पतन की अनुमति।

सन्दर्भ-

भारत सरकार की पत्र सं०-एवी/06/93/2016एफ/सी०/370 दिनांक 03-11-2016

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (जाल्याप्रति संलग्न) के क्रम में अवनत करना है कि भारत सरकार के समसंख्य पत्र दिनांक 3-11-2016 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में बिन्दु संख्या -1 से 21 तक कातिपत्र आपत्तियों की गयी है। जिनका निस्तारण आपके स्तर से भी किया जाना है तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय से विषयक प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करने हेतु नामित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को निर्दिष्ट करने का कष्ट करें कि वह विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय को सम्बन्धित सहायक के सम्पर्क कर प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रतियाँ यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर सम्बन्धित वन प्रभागों को आपत्तियों के निस्तारण हेतु अवनत कराया जा सकें।

संलग्न:- प्रवेष्टी।

भवदीय

Arshu Sharma
 (डा०बी०सी०अहना)
 प्रमानीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 नुरादाबाद।

पत्रांक 1098 / दिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रतियाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नुरादाबाद कार्यालय के सम्बन्धित सहायक श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को उपलब्ध करने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक नुरादाबाद क्षेत्र नुरादाबाद को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित

Arshu Sharma
 (डा०बी०सी०अहना)
 प्रमानीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 नुरादाबाद।

O/C *Arshu Sharma*
 10/11/2016

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(एल-25 रामगंगा विहार, प्रथम फेस, निकट सोनकपुर स्टेडियम, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 1098 / 22-1, दिनांक, मुरादाबाद, नवम्बर, 10 2016

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
प्राधिकरण ए-54 आशियाना फेस-1 (ढाप का मन्दिर)
कॉठ रोड मुरादाबाद।

विषय:-

लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-मुरादाबाद सैवशन (एन0एच0-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में कि०मी० 126.00 से 133.860 तक 3.5760 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 61 वृक्षों के पातन, रागल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 3777 वृक्षों का पातन तथा मुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4552 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं०-8बी/06/93/2016एफ0सी0/370 दिनांक 03-11-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सामसंख्य पत्र दिनांक 3-11-2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में बिन्दु संख्या -1 से 21 तक कतिपय आपत्तियों की गयी है। जिनका निस्तारण आपके स्तर से भी किया जाना है तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय से विषयक प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु नागित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है, कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय के सम्बन्धित सहायक के सम्पर्क कर प्रश्नगत प्रस्ताव की प्रतियाँ यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर सम्बन्धित वन प्रभाग को आपत्तियों के निस्तारण हेतु अवगत कराया जा सकें।

संलग्नक:- 4 फोटो

भवदीय,

Arshu Chandra
(डा०बी०सी०ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक 1098 /

दिनांकित।

प्रतिलिपि1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप प्रश्नगत प्रस्ताव की प्रतियाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद कार्यालय के सम्बन्धित सहायक श्री राकेश सिंह आशुलिपिक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

प्रतिलिपि2- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित

Arshu Chandra
(डा०बी०सी० ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

O/C *Arshu Chandra*
10/11/2016